15-03-2023 Re: Need to increase wages and work days under the MGNREGS - laid MATTERS UNDER RULE-377 Kumar, Shri Kaushalendra Labour Welfare Labourers Landless Farmers

Re: Need to increase wages and work days under the MGNREGS - laid

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): मैं माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी का ध्यान मनरेगा में मजदूरों की मजदूरी एवं काम का दिन बढ़ाने के साथ ही लम्बित राशि का भुगतान अविलम्ब कराने के लिए आकृष्ट करना चाहता हूँ। देश में कोरोनाकाल के समय से ही मजदूरों का ग्रामीण इलाकों में जीविका का एकमात्र यही साधन रह गया है। कोरोनाकाल में तो मनरेगा में मजदूरों को सही रूप से काम मिल रहा था, किन्तु अब करीब एक वर्ष से औसतन 28 से 30 दिन ही काम दिया जा रहा है। इस मंहगाई में उनका गुजारा नहीं हो रहा है। ऊपर से, केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को मनरेगा की राशि में भुगतान नहीं किया जा रहा है। राज्यों का साल दर साल बकाया बाधित है। आंकड़े बताते हैं कि बिहार राज्य देश में सर्वाधिक भूमिहीन श्रमिकों वाला राज्य है। यह संख्या करीब 88.61 लाख है। इनको मनरेगा के तहत लगातार 100 दिनों का काम गारंटी के साथ मिलना चाहिए, किन्तु वित्तीय अभाव के कारण औसतन 28 दिनों का ही काम मिल रहा है। साथ ही, बिहार में मनरेगा के तहत हरियाणा की तरह ही 300 रूपये से अधिक की मजदूरी तय करने की आवश्यकता है। अभी बिहार में मात्र 12 रूपये की बढ़ोतरी हुई है। पहले 198 रूपर्ये तय था और मई, 2022 से 212 रूपये मिलना प्रारम्भ हुआ है। अन्य राज्यों में केन्द्र सरकार ने 7 प्रतिशत की वृद्धि की है। बिहार सरकार लगातार केन्द्र सरकार से आग्रह करती आ रही है कि मनरेगा मजदूरी बढ़ाई जाये और लम्बित राशि लगभग 1900 करोड़ रूपये का भुगतान किया जाये। यह माँग अविलम्ब स्वीकार होनी चाहिए साथ ही सभी मजदूरों को 100 दिनों का काम सुनिश्चित होना चाहिए।